राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक प. 10(140)नविवि/3/2010 जयपुर दिनांक 27.07.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को राजाखेडा (जिला धौलपुर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती हैः–

क्र. सं.	ग्राम का नाम हिन्दी में	ग्राम का नाम अंग्रेजी में
1	महदवार I	Mahadwar I
2	महदवार II	Mahadwar II
3	जरिहा I	Jariha I
4	जरिहा II	Jariha II
5	दिघी	Dighi
6	कुम्हरपुरा	Kumharpura

राज्यपाल के आदेश से

(पुरूषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक मे करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान,जयपुर ।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर ।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, धौलपुर ।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजाखेडा ।
8. रक्षित पत्रावली ।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक